न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़ (जिला बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार प्रथम, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या – 16/2026

अनवान

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
दिलबर खान पुत्र हासम खान जाति मुसलमान निवासी उनरोड तहसील गडरारोड जिला बाडमेर		1. तहसीलदार गडरारोड़ जिला बाड़मेर। 2. सायरों पत्नी हासम 3. अब्दुल रहीम पुत्र हासम 4. उर्स मोहम्मद पुत्र हासम 5. सकिना पत्नी उरसा खान 7. दीनों पुत्र लॉगा 8. अकबर पुत्र लॉगा 9. संगो पुत्र लॉगा 10. फतेह मोहम्मद पुत्र कादर 11. गाजी पुत्र गफुर 12. भुरा पुत्र तैयब 13. सफी मोहम्मद पुत्र हकू जातियान् मुसलमान निवासियान् उनरोड़ तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर ।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–1. श्री भोपालसिह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी।

2. राज पेरोकार।

–:: आदेश ::–

दिनांक 17.02.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का सयुक्त खातेदारी खेत मौजा उनरोड़ पटवार हल्का झणकली तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर क्रमश 184, 202, 66 रकबा क्रमश 1.6349, 1.9830, 15.6208 हैक्टेयर के व मौजा आचाराणियों की ढाणी पटवार हल्का आसाडी के खेत खसरा नम्बर 439 रकबा 13.6298 हैक्टेयर के आऐ हुऐ है। उक्त आराजी प्रार्थी को अपने पिता स्व. हासम खान की फौतगी विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। जिसमें फौतगी नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थी का नाम घर पर सामान्य बोलचाल की भाषा में इब्राहिम पुत्र हासम नाम से पुकारा जाने के कारण राजस्व रेकर्ड में भी यही नाम दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मुल निवास प्रमाण, विवाह पंजीयन, बैक डायरी, पैन कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम दिलबर खान पुत्र हासम खान दर्ज है प्रार्थी द्वारा यह आवेदन नाम दुरस्ती कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन दर्ज रजिस्ट्रर किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.03.19 13:09:40 IST
Reason: Self Attested

पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त भूमि अपने पिता स्व. हासम खान की फौतगी विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। जिसमें फौतगी नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थी का नाम घर पर सामान्य बोलचाल की भाषा में इब्राहिम पुत्र हासम नाम से पुकारा जाने के कारण राजस्व रेकर्ड में भी

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

नाम दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मुल निवास प्रमाण, विवाह पंजीयन, बैंक डायरी, पैन कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम दिलबर खान पुत्र हासम खान दर्ज है इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नाम दिलबर खान पुत्र हासम खान किया जावें।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस व पत्रावली में मौजूद दस्तावेजो का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकर किये जाने में इस न्यायालय को कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा उनरोड़ पटवार हल्का झणकली तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर क्रमश 184, 202, 66 रकबा क्रमश 1.6349, 1.9830, 15.6208 हैक्टेयर व मौजा आचाराणियों की ढाणी पटवार हल्का आसाडी के खेत खसरा नम्बर 439 रकबा 13.6298 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम इब्राहिम पुत्र हासम के स्थान पर दिलबर खान पुत्र हासम खान दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार गडरारोड को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया व मुहर अदालत के जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.03.19 13:09:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner